**Reservation and Subsidy in Industrial Plot/Sheds**

**298. SHRI JAIVEER SINGH, M.L.A.:**

**SHRI SHISHPAL SINGH KEHARWALA, M.L.A:-** will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) Whether any representation has been received in the subordinate office of Industries and Commerce Department for giving reservation and subsidy in allotment of Industrial Plot/Sheds from the people belonging to Schedule Castes/Schedule Tribes or their organizations in state;

b) If so, the details of the effective policy and budget allocated by the Government after receiving the said representation; and

c) Whether it is a fact that no such kind of provision of subsidy upto 70% and reservation has been implemented in State whereas it has already been in practice in the various states like Gujrat and Karnatka etc?

**Reply:-**

**Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister of Haryana, Industries & Commerce Minister, Haryana**

a) Yes Sir, A representation dated 17.12.2020 was received from Dr. Ambedkar Cooperative Federation in this regard through Directorate of Welfare of Schedule Castes and Backward Classes Department, Haryana.

b) It has been decided to grant 10% rebate on plot cost to the allottees of Industrial plots from SC Category and HSIIDC Board in its meeting held on 22.12.2020 has already approved to implement the same. The said rebate will be given by HSIIDC on its own and no budgetary provision is required for the same.

c) Yes, there is no such provision for reservation and subsidy in allotment of industrial plots to the applicants from SC Category, except 10% rebate as explained above.

## औद्योगिक प्लॉट/शेडों में आरक्षण एवं सब्सिडी

**298** **श्री जयवीर सिंह, एम.एल.ए.:**

**श्री शीशपाल सिंह केहरवाला, एम.एल.एः क्या उप–मुख्यमंत्री कृपया बताएगें किः–**

क. क्या राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या उनकी संस्थाओं से संबंधित लोगों से औद्योगिक प्लॉट/शेडों के आबंटन में आरक्षण तथा सब्सिडी के लिए औद्योगिक तथा वाणिज्य विभाग में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

ख. यदि हां, उक्त प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् सरकार द्वारा प्रभावी नीति तथा आबंटित बजट का ब्यौरा क्या है; तथा

ग. क्या यह तथ्य है कि राज्य में 70 प्रतिशत से ऊपर सब्सिडी तथा आरक्षण देने का ऐसा कोई प्रावधान लागू नहीं है जबकि गुजरात तथा कर्नाटक इत्यादि विभिन्न राज्यों में यह पहले से ही अमल में आई हुई है?

**उत्तर :–**

**दुष्यंत चौटाला, उप–मुख्यमंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, हरियाणा**

क. हाँ श्रीमान् जी, इस संबंध में 17 दिसंबर 2020 को डॉ अंबेडकर कोपरेटिव फेडरेशन से एक प्रतिवेदन अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के निदेशालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था।

ख. अनुसूचित जाति श्रेणी के औद्योगिक प्लॉट आवंटियों को प्लॉट की लागत पर 10 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है और एच.एस.आई.आई.डी.सी के बोर्ड ने 22 दिसंबर, 2020 की बैठक में इसे अनुमति दी गई । उक्त छूट एच.एस.आई.आई.डी.सी द्वारा स्वयं दी जाएगी और इसके लिए कोई बजटीय प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ग. हां, जैसा कि ऊपर बताया गया है 10 प्रतिशत छूट के अलावा, अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों को औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन में आरक्षण और सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है।